संख्या– 1531 / 79–6–2010

प्रेषक,

बाल कृष्ण दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 15 नवम्बर, 2010

विषयः—मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में किचेन निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक मा0भो0प्रा0 / 1783 / 2010—11 दिनांक 10.09.2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भवन / अन्य अवस्थापना संबंधी सुविधाओं हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता शासन द्वारा नहीं दी जाती है। उक्त के अतिरिक्त **शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय–4 की धारा–19** में उल्लिखित है कि भवन हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था का दायित्व विद्यालय का होगा। अतः शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उक्त प्राविधानों तथा शासन की वर्तमान नीति को दृष्टिगत रखते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को किचेन निर्माण हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दिए जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

भवदीय,

(बाल कृष्ण दुबे)
विशेष सचिव

My Computer/D>Edu-6/G.O/2010/Razi